जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-09.01.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोकपुरा में मारपीट, गाली गलौज व धारदार हथियार से हमले के मामले में वांछित 10,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 07.11.2024 को वादी मुस्तकीम पुत्र जीजू निवासी ग्राम बरनाऊ थाना कैराना जनपद शामली ने अपने बडे भाई इमरान व उसके पुत्रगण के द्वारा मारपीट, गाली गलौच व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 08.01.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोकपुरा में मारपीट, गाली गलौज व धारदार हथियार से हमले के मामले में वांछित 10,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त उमर पुत्र इमरान को दिनाँक 05.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आमिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 487/24 धारा 115(2)/352/117(2)/118(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.गय्यूर पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.कालू उर्फ काला पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम वेदखेड़ी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.आसिफ पुत्र इशाक निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 12 ग्राम स्मैक बरामदः-</u>

दिनांक 08.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.कादिर उर्फ सोनू पुत्र सादा निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 12 ग्राम स्मैक।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरी बरामदः-

आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इस्तकार पुत्र इकराम निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध छुरी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलो में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाः-

1.-वर्ष 2004 में अभियुक्त वासिद उर्फ पप्पू पुत्र बाला निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 90/2004 धारा-3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2010 में अभियुक्त शहजाद पुत्र महमूद निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 08/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 1999 में अभियुक्त आरिफ पुत्र लाला निवासी ग्राम सुजडू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 24/1999 धारा-3/5ए/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2003 में अभियुक्त अरविन्द पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम शीतलगढी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 230/2003 धारा-25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI